भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2137

जिसका उत्तर 08 अगस्त, 2023/17 श्रावण, 1945 (शक) को दिया गया

अनैतिक ऋण वसूली प्रथाएँ

2137. डा. अमी याज्ञिकः
श्रीमती फूलो देवी नेतमः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) का उल्लंघन करके उधारकर्ताओं/गारंटरों के मार्गदर्शन मूल्य से नीचे बंधक संपत्तियों को बेचकर विभिन्न ऋण वसूली कंपनियों द्वारा बढ़ती अनैतिक ऋण वसूली प्रथाओं के बारे में पता है; और

(ख) यदि हां, तो आरबीआई विनियमों के तहत जबरदस्ती पर रोक होने के बावजूद सरकार द्वारा वित्तीय संस्थानों, बैंकों और निजी एनबीएफसी द्वारा अनैतिक ऋण वसूली की प्रथाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत कराड)

(क) और (ख): सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्राप्त सूचना के अनुसार कर्ज़ वसूली की नीतिपरक पद्धतियों को सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उचित व्यवहार संहिता के मार्गदर्शन के अंतर्गत बैंक अपने बोर्ड अनुमोदित नीतियों और सरफेसी अधिनियम, 2002 के प्रयोज्य विधियों और विनियमों के अनुसार ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संपत्तियों की नीलामी करवाते हैं। बैंक संपत्तियों की सार्वजनिक नीलामी की सूचना दो समाचार पत्रों में अर्थात् अंग्रेज़ी और स्थानीय क्षेत्रीय भाषा में भी जारी करता है। इसके अतिरिक्त, नीलामी के रिज़र्व मूल्य का परिकलन करने के लिए सूचीबद्ध/पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं से कई मूल्य-निर्धारण प्राप्त किए जाते हैं और इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से तय किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, आरबीआई अपने पर्यवेक्षीय मूल्यांकन के भाग के रूप में अपने मार्गनिर्देशन के अनुपालन की समीक्षा करता है और यथोचित पर्यवेक्षी/ प्रवर्तन कार्रवाई आरंभ करने के अलावा पायी गई अननुपालना में सुधार के लिए इसे बैंकों के साथ उठाया जाता है।

*****